राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	171/2014 पीरन खाँ / ओमप्रकाश बल्लभ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/2/22		

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 3056, 3057, 3058, 3059, 3060,3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068 एवं 3069 कुल किता 14 कुल रकबा 43 बीघा 01 वाके ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वरवक्त पर्चा सेटलमेंन्ट वादीगण के पूर्वज नूरा पुत्र वजीर काबिज काश्त था अत: पर्चा सेटलमेन्ट नूरा पुत्र वजीर के नाम से जारी होना चाहिये था और उसके स्वर्गवास बाद वादीगण जो उसके वारिस है बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है | वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट कर्मचारियों कि गलती से उक्त आराजी का पर्चा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कृष्ण बल्लभ पुत्र सूरजबल्लभ ब्राह्मण सा. जयपुर के नाम जारी कर दिया गया जबकि वरवक्त पर्चा सेट्लमेन्ट कृष्णबल्लभ न तो काबिज था न वह नरैना में रहता था न उसके बाद कभी काबिज रहा अपितु पूर्व में नूरा पुत्र वजीर व उसके बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जैसा कि राजस्व रिकार्ड गिरदावरियो में अंकन से जाहिर है व लगान भी पहले नूरा उसके बाद अदा करते आ रहे है | प्रतिवादी संख्या 1 या उसके पिता कृष्ण बल्लभ वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट या उसके बाद काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय कभी कब्जा काश्त नही रहा अत: कब्जे काश्त के अभाव में उनके कोई खातेदारी हक भी थे तो वह स्वत: समाप्त होकर नूरा पुत्र वजीर व उसके बाद वादीगण जो मुतावातिर काबिज काश्त चले आ रहे है, एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी के अधिकारी हो गये है | नूरा पुत्र वजीर अपने जीवनकाल में शान्तिपूर्वक काबिज काश्त था उसने कृष्ण बल्लभ को कई बार पर्चा दुरुस्ती कराने को कहा तो वह आश्वासन देता रहा आप काबिज हो, काश्त करते हो दुरुस्ती करवा दूंगा किन्तु उसके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी की नियत खराब हो गई और वह बलपूर्वक वादीगण को बेदखल करने व आराजी विक्रय कर नुमाईशी बैचान पत्र तस्दीक कराने व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने पर उतारू है, इस गरज से कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी अजनबियों को गाड़ी में लेकर विवादग्रस्त आराजीयात पर आया और आराजी का विक्रय करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी, वादीगण के समझाने पर नही माना व वादीगण के अधिकारों से इन्कार किया | अत: यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है | अन्त में वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि आराजी खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 3056, 3057, 3058,

अपील प्राधिकारी
जयपुर

पीरन खाँ / सोमा बल्लभ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
171/2014	2	

3059, 3060,3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068 एवं 3069 कुल किता 14 कुल रकबा 43 बीघा 01 वाके ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर जो वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिससे प्रतिवादी या कृष्ण बल्लभ का कोई सबन्ध नही है | वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजीयात के खातेदार काश्तकार है | प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में बाधा कारित न करे, न वादीगण को आराजीयात से बेदखल करे, न ही किसी अन्य से करावे | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई | अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. पर बहस सुनी गई बाद बहस मनन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद ख़ारिज किया गया | अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की |

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी गई | दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु की और ध्यान नही दिया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व आराजीयात के गट्टू लाल, बिरदीचन्द माफ़ीदारान थे जिन्होंने आराजीयात को वादी के पिता नूर खां को काश्त हेतु दे रखी थी, माफ़ीदार की मृत्यु पश्चात व उन्मूलन के पश्चात आराजी सिवायचक दर्ज हो गई और यह आराजी अलमशुर बेरी के नाम से मोसुम्मा थी किन्तु नूर खां आराजीयात पर रिकार्डेड काश्तकार था इस कारण नूर खां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.06.1968 के माध्यम से डिक्री कर नूर खां को आराजीयात का खातेदार घोषित किया | उक्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई एवं न्यायालय हाजा के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा स्वीकार कर, न्यायालय हाजा के निर्णय को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा | इस प्रकार स्पष्ट हा कि

5/12

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
171/2014	पीर... / सोमा... 3	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.1968 आज भी यथावत है | किन्तु उसकी अनुपालना में वादी/ अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन नही हो सका एवं अब चूँकी प्रतिवादी/रेस्पो. एक गलत वसीयत के आधार पर स्वयं को प्रश्नगत आराजी जिसके कि सन्दर्भ में पूर्व में ही वादी/अपीलांट के सन्दर्भ में अधिकारों की घोषणा न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा कि जा चुकी थी, पर अपने अधिकार दर्शित करने लगा वादी/अपीलार्थी को प्रश्नगत आराजी से बेदखल करने पर आमदा होने लगा इसलिये वादी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो. के विरुद्द वाद लाना आवश्यक हुआ |अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा वाद में जो एडवर्स पजेशन का उल्लेख किया गया है वह मात्र अतिरिक्त अनुतोष के रूप में अंकित किया गया था अन्यथा वादी/अपीलार्थी के अधिकारों की घोषणा पूर्व में ही उपजिलाधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.1968 के द्वारा की जा चुकी थी | यह द्वितीय वाद मात्र इसलिये पेश करना आवश्यक हुआ कि पूर्व में वादी/अपीलान्ट के अधिकारों की घोषणा हो जाने के पश्चात भी उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नही हुआ एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट उसका नाजायत लाभ उठाकर प्रश्नगत आराजी से उसे बेदखल करने पर आमदा हुये जिससे स्पष्ट रूप से वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संधारणीय था | जिसमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के संधारणीय रहने की कोई गुंजाईश नही थी अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाबत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वादी/अपीलार्थी के वाद को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे |

अभिभाषक रेस्पो. ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण और उनके बुजुर्गो का कब्जा लम्बे समय से होने एवं काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है क्योकि आराजीयात पर वादीगण/अपीलान्ट का प्रतिकूल कब्जा है | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है | अधीनस्थ न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील ... जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
171/2014	पीरू खां / हामिदा बानो 4	

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए वादी का सही ख़ारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नही है। अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2014 यथावत रखा जावे।

अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष में इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के संलग्न विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की प्रति जो कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24/12/2020 के द्वारा रिकार्ड पर लिये गये का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में वादी/अपीलान्ट के पिता नूर खां द्वारा पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण विभिन्न न्यायालयों द्वारा हुआ एवं मूलतः वह वाद वादी/अपीलान्ट के पिता नूर खां द्वारा पीरु पुत्र रामनारायण के विरुद्व प्रस्तुत हुआ था जिसमे वादी/अपीलान्ट के पिता के सन्दर्भ में प्रश्नगत आराजी में अधिकारों की घोषणा हुई है किन्तु अब चूँकी प्रतिवादी/रेस्पो. प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में वादी/अपीलान्ट्स के अधिकारों को चुनौती दे रहे थे जिससे यह नया वाद वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्व प्रस्तुत किया गया है जिससे यह तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि वादी/अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मात्र प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट के वाद को सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के आधार पर निस्तारित किये जाने से पूर्व उक्त पूर्व निर्णयों का सन्दर्भ लिया जाना आवश्यक था जो मात्र वाद के गुणावगुण पर सुनवाई के दौरान ही सम्भव हो सकता था जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के आधार पर सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाकर वादी का वाद संधारणीय नही होना धारित करते हुये ख़ारिज करने का जो आदेश दिया गया है वह उचित प्रतीत नही होता है।

अत: अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी उपरोक्त विवेचन के आधार पर संधारणीय नही रहने से ख़ारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके आधार पर जो आदेश दिनांक 08/05/2014 पारित किया गया है निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ

(signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	171/2014 पीरू खां / ओमाबल्लभ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5 न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष में वाद का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 01/02/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)